कार्यालय भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति, कोटा

क्रमांक :– 697 दिनांक :– 11/06/2020

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

कोटा

प्रसंग :– F-14 ( )2015/FCA/PCCF/CCFEDS-1Jaipur dated 16.05.2018 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :– LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

यूजर एजेन्सी का नाम :– KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :– 96.00 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :– Kota District and kota Division

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :– FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

1	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या A-1(vi) मे यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण 0 अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव संशोधित होने के बाद 24 हेक्टर क्षेत्र गेर वन भूमि में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अंकित किया गया है। उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित कर दिया गया है
2	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B 2.4 मे यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न कम्पोनेटवाइज क्षेत्र में 38 हे. वन भूमि बिल्डिंग कार्य हेतु ली गई है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइडलाइन के अनुरूप (1 हे. से अधिक क्षेत्र में बिल्डिंग हेतु) नहीं है। इसके अतिरिक्त संलग्न किये गये एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट से मिलान नही करते हैं।	संशोधित कर बिल्डिंग कार्य के स्थान पर ऑपन प्लेटफार्म बनाना प्रस्तावित है। उक्तानुसार एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
13	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-b (ii) मे संलग्न KML file एवं DGPS map एक दूसरे से मिलान नही करते है। संशोधित KML file & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।	संशोधित KML file & DGPS map संलग्न कर दिये गये है।
4	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D मे यूजर एजेन्सी द्वारा 74 हे. के प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्ताव की औचित्यता दर्शायी गई है जबकि वर्तमान में प्रस्ताव 96 हेक्टर का है।	पूर्व में यूजर एजेन्सी द्वारा 74 हेक्टर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था परन्तु बाद में 22 हेक्टर भूमि को और सम्मिलित करते हुए कुल 96 हेक्टर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं जिसका औचित्य 96 हेक्टर का ही दिखाया गया है।
5	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या E मे यूजर एजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है। किन्तु उसका विवरण हार्ड प्रति में संलग्न नही किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है और इसका विवरण हार्ड कॉपी में भी प्रस्तुत किया गया है।
6	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या G मे यूजर एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नही किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या G मे यूजर एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्द संख्या K मे यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तुं हार्ड प्रति में 74 हेक्टर का वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अतः संशोधित	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

	प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	
8	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या L मे यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया गया है जो दो ग्रामों में आवंटन किया गया है। अतःसेंगमेंट अनुसार KML file & corrected GT Sheet संलग्न की जानी प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 हेक्टर गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	KML file & corrected GT Sheet संलग्न कर दी गई है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 हेक्टर गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न कर दिया गया है।
9	यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया बार चार्ट सही नही है। इसे कम्पोनेट अनुसार बनाया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित हैं।	इसे कम्पोनेट अनुसार बनाकर संलग्न कर दिया गया है।
10	उप वन संरक्षक कोटा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में अंकन नही किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
11	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही की गई है।	उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
12	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या में 22 हे. क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना अवगत कराया गया है। जिसके बारे में उनके स्तर पर की गई कार्यवाही, दोषी लोकसेवकों के नाम आदि सहित विस्तृत टिप्पणी दिया जाना प्रस्तावित है	उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
13	उप वन संरक्षक द्वारा उक्त भूमि एन.एच. 76 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अंतर्गत जारी शर्त जिसमें एन.एच. 76 के 1 कि.मी. की परिधि में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है उक्त प्रस्तावित वन भूमि ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आती है। उप वन संरक्षक ने भी भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित संशोधन कराये जाने के उपरान्त ही प्रत्यावर्तन किया जाना उचित बताया है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित भूमि का पुनः निरीक्षण करने पर ये पाया कि उक्त भूमि माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेशों के अधीन जारी स्वीकृति जो कि एन. एच. 76 की स्वीकृति की शर्त संख्या 5 में उल्लेखित ग्रीन बेल्ट विकसित करने की भूमि से अलग भूमि है।यूजर ऐजेन्सी द्वारा भी विभाग के साथ नाप कराने पर यह पता चला कि उक्त भूमि ग्रीन बेल्ट से अलग है।
14	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट ।।। एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है।	मुख्य वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
15	यूजर एजेन्सी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में फलूड लगाया जाकर हार्ड प्रति के साथ संलग्न किये गये हैं जो उचित नहीं है। प्रस्ताव में एक प्रति में मूल दस्तावेज एवं तीन प्रति अतिरिक्त जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर एजेन्सी/उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।	पुनःनये दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये है।
16	प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति में ऑनलाइन प्रस्ताव के सभी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है।	सभी दस्तावेज संलग्न कर दिये गये है।

(एम.एल.जाटव)

सचिव,

भामाशाह कृषि उपज मंडी, कोटा